न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 103/2019/दावा

1. रामलाल पुत्र श्री छींतरमल जाति जाट
2. धर्मपाल पुत्र छींतरमल जाति जाट

निवासीगण खोरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–वादीगण

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।।

–प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. श्री आनन्द राड़ वकील वादीगण ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक – 26.12.2019**

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 171 रकबा 0.57 हैक्टर, ख0नं0 175 रकबा 1.14 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 1.71 हैक्टर वाके ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें वादी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार काबिज काश्तकार रहकर उपयोग उपभोग कर रहा हूं। वादी संख्या 1 का नाम रामलाल पुत्र छींतरमल है जबकि उक्त वर्णित आराजियात में उसका नाम राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती सें रामपाल पुत्र छींतरमल दर्ज आ रहा है जो कि गलत है तथा वादी संख्या 2 का नाम धर्मपाल पुत्र छींतरमल है जबकि उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम धर्माराम पुत्र छींतरमल दर्ज है जो कि गलत है। उक्त दुरूस्ती करवाने हेतु प्रार्थी/वादी तहसील कार्यालय दांतारामगढ गया तो उक्त संशोधन करने से मना कर दिया। अतः वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 171 रकबा 0.57 हैक्टर, ख0नं0 175 रकबा 1.14 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 1.71 हैक्टर वाके ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी संख्या 1 का सही व वास्तविक नाम रामलाल पुत्र छीतरमल तथा वादी संख्या 2 का नाम धर्मपाल पुत्र छींतरमल उद्घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी संख्या 1 के नाम रामपाल पुत्र छीतरमल के स्थान पर रामलाल पुत्र छींतरमल तथा वादी संख्या 2 का नाम धर्मलाल पुत्र छीतरमल के स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

धर्माराम पुत्र छीतरमल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में संशोधन के आदेश पारित किये जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी संख्या 1 तथा सहखातेदार भंवरलाल पुत्र लच्छाराम के बयानात लिये गये जिनमें सहखातेदार भंवरलाल ने उक्त वांछित दुरूस्ती करने हेतु अनापत्ति जाहिर की तथा वादीगण के गलत रूप सें अंकित नामों को दुरूस्त कर रामलाल पुत्र छीतरमल व धर्मपाल पुत्र छीतरमल दर्ज करने हेतु आग्रह किया। वादपत्र पर वकील वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए संहवन सें गलत अंकित वादीगण के नामों को दुरूस्त कर सही व वास्तविक नाम रामलाल पुत्र छीतरमल तथा धर्मपाल पुत्र छीतरमल दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। सहखातेदार के बयानात पर गौर किया गया। चूंकि वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी तथा अन्य दस्तावेजों में एकरूप नहीं है अतः **वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा सहखातेदार के बयानों के आधार पर वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा ग्राम बाय पटवार हल्का बाय तह0 दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 171 रकबा 0.57 हैक्टर, ख0नं0 175 रकबा 1.14 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 1.71 हैक्टर में खातेदार वादीगण का नाम रामपाल पुत्र छीतरमल के स्थान पर रामलाल पुत्र छीतरमल तथा धर्माराम पुत्र छीतरमल के स्थान पर धर्मपाल पुत्र छीतरमल उद्घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।** शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। डिकी जारी हो। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

रामलाल आदि बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 103 / दावा सन् 2019 निर्णय दिनांक. 26.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री आनन्द राड़** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा ग्राम बाय पटवार हल्का बाय तह0 दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 171 रकबा 0.57 हैक्टर, ख0नं0 175 रकबा 1.14 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 1.71 हैक्टर में खातेदार वादीगण का नाम रामपाल पुत्र छीतरमल के स्थान पर रामलाल पुत्र छीतरमल तथा धर्माराम पुत्र छीतरमल के स्थान पर धर्मपाल पुत्र छीतरमल उद्घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.12.2019 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner